नक़ल अहलकार ... तामील

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला–टोंक (राज.)

**(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)**

निर्णय दिनांक :– 18.11.2024

मिशल संख्या:– 101 / 2009

**उनवानी दावा :**

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. प्रभु पुत्र घीसा जाति मीणा उम्र बालिंग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. पानी पुत्री घीसा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. मानी पुत्री घीसा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. रामधणी पुत्री घीसा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. ~~शिवराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)~~

6 / 1–चांदसिंह पुत्र शिवराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

6 / 2–मन्जू पुत्री शिवराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

6 / 3–रेखा पुत्री शिवराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

6 / 4–सीमा पुत्री शिवराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

6 / 5–राधा देवी पत्नि शिवराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक

7. नंदराम पुत्र गंगाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा 4 तहसील देवली जिला टोंक

**–वादीगण–**

**बनाम**

1. ~~मेवाराम पुत्र बजरंगलाल जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0 (मृतक)~~

1 / 1– बहादुरसिंह पुत्र मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

1 / 2– भवानी सिंह पुत्र मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

1 / 3– राधाकिशन पुत्र मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

1 / 4 – महेन्द्र सिंह पुत्र मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

1 / 5 – राजेन्द्र सिंह पुत्र मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

18.11.2024

1 /6– सोहनी पत्नि मेवाराम जाति मीणा उम्र बालिग निवासी दांता ढाणी पोस्ट सांवतगढ़ तहसील देवली जिला टोंक राज0

2. रमेशीं देवी पत्नि नंदा जाति मीणा उम्र बालिग निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली जिला टोंक राज0

3. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

**उपस्थिति :–**
**श्री अशोक कुमार गुप्ता**
**अधिवक्ता वादीगण**

**एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध**
**प्रतिवादी संख्या 1/1 ता 1/6**
**प्रतिवादी संख्या 2**

## दावा इस्तकरार हक, उद्घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थायी निषेधाज्ञा

**–:निर्णयः–**

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली माननीय न्यायालय आर. ए. ए. टोंक से प्राप्त हुई। माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2008 से न्यायालय हाजा के निर्णय व डिकी दिनांक 11.08.2006 को खारिज करते हुए इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि प्रकरण में वादीगण के साबिक खाते में 0.55 है0 भूमि कम हुई है। इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। पत्रावली के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज गंगाराम, घीसाराम पिसरान देवीराम जाति मीणा निवासी बासलक्ष्मणा की खातेदारी को आराजी साबिक ख. नं. 13 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख. नं. 15 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 19/1, 22 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 25/3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 68/2 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, ख. नं. 118 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 120 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 121 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख. नं. 124 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा किता 9 रकबा 31 बिस्वा 9 बिस्वा वाके ग्राम बास लक्ष्मणा तहसील देवली स्थित है, जिसके सेटलमेन्ट के दौरान नये खासरा नम्बरान 33, 35, 36, 42, 43, 50, 130, 131, 335, 336, 338, 339, 340, 341, 342, 349, 350, 351, 357, कुल किता 19 कुल रकबा 7.33 है. वाके ग्राम बासलक्ष्मणा बना दिये गये है। गंगाराम का देहान्त हो चुका है और वादीगण गंगाराम के कायम मुकामान है। वादीगण का सजरा निम्न प्रकार है:–

देवी

गंगाराम –मृतक | घीसाराम –मृतक

गंगाराम –मृतक:

| शिवराज | सूरजमल | नंदराम | बरजी | लक्ष्मी नारायण |
|---|---|---|---|---|
| पुत्र | पुत्र | पुत्र | बेवा | पुत्र |

घीसाराम –मृतक:

| प्रभु | पानी | मानी | रामघणी | कल्ली |
|---|---|---|---|---|
| पुत्र | पुत्री | पुत्री | पुत्री | बेवा मृतक |

वादीगण मृतक गंगाराम व घीसाराम के जायज कायम मुकामान है, वादीगण के अलावा अन्य कोई जायज वारिस नहीं है। हाल ही में देवली तहसील मे

18.11.2024

सेटलमेन्ट हुआ है और सेटलमेन्ट के दौरान काफी गलतियां की गयी है, वादीगण की खातेदारी की आराजियात जिसका सेटलमेन्ट से पहले कुल रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा था, को सेटलमेन्ट के बाद 29 बीघा 6 बिस्वा 7.33 है0. कर दिया गया इस तरह वादीगण की खाते की जमीन में से 2 बीघा 2 बिस्वा जमीन लगभग 0.53 है0 जमीन कम कर दी गयी है और उक्त जमीन को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी में लगा दी गयी। साबिक ख. नं. 25/3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा जिसके हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 62 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 63 रकबा 0.01 है0, बना दिये गये है, को प्रतिवादी न की खातेदारी में लगा दिया गया है। जब कि इस जमीनं में से 0.53 है0 जमीन वादीगण की खातेदारी में लगनी चाहिए थी। इस लिए उक्त वाद बाबत इस्तकरार हक व दुरूस्ती इन्द्राज श्रीमान की सेवामे पेश है। हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, व हाल ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0, में से 0.23 है0, पर प्रार्थीगण वादीगण का वर्तमान में कब्जा है, हाल ख. नं. 60 में वादीगण का पक्का रिहाईशी मकान बना हुआ है जिसमे वह मय परिवार रहता है इसलिये प्रतिवादीगण की खातेदारी की जमीन हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 मे से 0.23 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे ।सेटलमेन्ट के बाद गंगाराम घासीराम की खातेदारी की आराजियात वादीगण के खाते में लगा दी गयी है लेकिन उसमे 0.53 है0 जमीन कम खातेदारी में लगाये हुऐ प्रतिवादी नं. 1 की खातेदारी मे लगादी गयी है। हाल ख. नं. मे से वादीगण नं. 1 ता 5 ने अपने 1/2 हिस्से में से हाल ख. नं. 130 रकबा 1.61 है0 व ख. नं. 131 रकबा 1.52 है0 में से अपना आधा हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 को जरिये रजि0 विक्रयपत्र बेच दिया है और प्रतिवादी नं. 2 के नाम उक्त दोनों खसरा नम्बरान का 1/2 हिस्से का नामान्तरकरण भी खुल चुका है। प्रतिवादी नं. 2 का वादीगण की पुश्तेनी से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी नं. 2 के खिलाफ वादीगण ने कोई अधियाचना भी नहीं चाही हे केवल सहकृषक होने के कारण औपचारिक रूप से पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी नं0 2 का हित ख. नं. 130 व 131 मे 1/2 हिस्से की हद तक ही है जो किसी भी रूप से प्रभावित नहीं हो रहा है। प्रतिवादी नं. 1 बहुत ही शरारती व्यक्ति है वह हाल ख. नं. 60 से 63 जो गलत रूप से उसकी खातेदारी मे लग गये है, उनका नाजायज फायदा उठाकर उक्त जमीन को अन्य व्यक्तियों को बेचान, हस्तान्तरित करना चाहता है इसलिए उसको पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वह उंपरोक्त खसरा नम्बरान मे से 0.53 है0 जमीन की हद तक उक्त जमीन किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे। तहसीलदार देवली को जमीन का लेण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। बिनायदावा आज से 7 दिन पूर्व उस समय उत्पन्न हुआ जब वादीगण उक्त जमीन को काश्त करने गये तो प्रतिवादी नं. 1 ने बताया कि यह जमीन तो मेरी है, मे ही काश्त करूंगा तो वादीगण ने कहा कि यह जमीन तो हमारी है और हम ही काश्त करेंगे तब प्रतिवादी नं. 1 ने धमकी दी कि में इस जमीन को बेच दूंगा । विवादग्रस्त आरानियात व पक्षकारान माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने के कारण उक्त वाद का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है । दावा अ0 धारा 188, 88, 92–ए– राज0 टि0 एक्ट के तहत उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है । अतः वादीगण को अधियाचना है किः–

अः– दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी नं. 1/1 ता 1/6 डिक्री सादिर परमाया जाकर वादीगण को 'ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 मे से 0.23 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा तहसील देवली का खातेदार एवं काबिज काश्तकार घोषित किया जाये एवं इसी अनुरूप राजस्व रिकोर्ड में दुरुस्ती की जावे।

18.11.2024

**बः–** दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री सादिर फरमाया जाकर प्रतिवादीगण नं. 1/1 ता 1/6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वह स्वयं, जरिये रेजेन्ट, नोकर, चाकर के हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 में से 0.23 है0 भूमि किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे और वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे।

**सः–** खर्चा मुकदमा व अन्य सहायता जो वादीगण के हित में, दिलवायी जाये ।

वादीगण की ओर से श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल चौहान ने अन्डर टेकिंग ली परन्तु पर्याप्त अवसर के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2 से वादीगण द्वारा किसी प्रकार अनुतोष नहीं चाहा गया।

न्यायहित में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के बयानो का अवलोकन किया गया।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–1 लक्ष्मीनारायण पुत्र घीसाराम जाति मीणा आयु 35 साल निवासी बासलक्ष्मणा तहसील देवली के करवाये जो इस प्रकार हैः– हमारी जमीन ग्राम बासलक्ष्मणा में है रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा है पुराने नम्बर मुझे याद नही है। सेटलमेन्ट में जमीन प्रतिवादीगण के नाम लगा दी गयी। गंगाराम व घीसाराम पिता देवीलाल मीणा फोत हो गए और हम लोग उनके वारिसान है सेटलमेन्ट में जमीन 2 बीघा करीबन कम कर दी और मेवाराम के नाम लगा दी। जबकि हमारे नाम लगानी चाहिए। अभी भी जो जमीन मेवा के लगी है, जमीन पर कब्जा हमारा ही है। नए नम्बर नही बता सकता। प्रतिवादी 2 के विरूद्ध कोई रीलीफ नही चाहते है। रकबा 0.53 है0 जमीन हमारे खाते लगायी जाए। जमाबंदी 2035 से 2038, प्रदर्श–1, जमाबंदी राजसवाई जयपुर प्रदर्श–2 है, मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 जमाबंदी 2060 प्रदर्श 4, नक्शा ट्रेस प्रदर्श–5 व साबिका नम्बर ट्रेस प्रदर्श–7 व 8 पेश किया है। खसरा नम्बर 60 से 63 नम्बरान में कुल रकबा 0.72 है मे से 0.53 है0पर हमारा कब्जा है। हमारी जमीन रकबा 0.53 है0 हमारे खाते में घोषित की जावे। मैने मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 9 व 10 पेश किया है। आज भी विवादित जमीन पर कब्जा हमारा है।

साक्ष्य पी. डब्ल्यू–2 सोदान पुत्र नाथू के प्रलेखिय साक्ष्य अनुसार मै लक्ष्मीनारायण, उनके घीसाराम व मेवाराम को भी जानता हू। इनकी जमीन हो जानता हू। इस जमीन से एक खेत ही बीच में है आगे मेरा मकान है। वादी की जमीन को भी मै जानता हू। खसरा नम्बर 60, 61, 62, 63 के खेतो का वादीगण काश्त करते है। प्रदर्श–5 में "XYZ" A मुकाम देखकर बताया कि ये खेत वादीगण ही काश्त करते है। यह जमीन मेवाराम के नाम गलत लगी है। आज भी कब्जा वादीगण का है। सरसों काश्त की थी। वादीगण फसल काटकर ले गये।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने दौराने बहस राजस्व दस्तावेज पेश किये जो वाद में संलग्न किये गये और प्रार्थना की कि तहसीलदार से सेटलमेंट से पूर्व व वर्तमान में मेवाराम पुत्र बजरंगलाल के नाम कोई खातेदारी भूमि के सम्बन्ध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर विवादित आराजी की स्थिति स्पष्ट हो जाएंगी।

अधिवक्ता वादी की प्रार्थना को स्वीकार किया गया।

18.11.2024

तहसीलदार देवली को पत्रांक 593 दिनांक 04.07.2022 से रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली से पत्रांक 3062 दिनांक 29.07.22 से रिपोर्ट प्राप्त जो इस प्रकार हैः–ग्राम बासलक्ष्मणा के ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0 पर श्री लक्ष्मीनारायण प्रभुलाल पुत्र घीसाराम मीणा निवासी बासलक्ष्मणा का कब्जाकाश्त तथा एक आवासीय मकान (लगभग 0.01 है0) व एक ट्यूबवेल है। कब्जाकाश्त में ज्वार की फसल बोई हुई है। ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 पर श्री नन्दाराम पुत्र गंगाराम, चांदसिंह पुत्र शिवराम द्वारा उड़द की फसल बो कर कब्जाकाश्त है। ख. नं. 60 व 61 पर उक्त कब्जा वर्षो से चला आ रहा है, बताया है । ख. नं. 62 व 63 पर रमेश पुत्र रतिराम मीणा का मकान व ज्वार की फसल काश्त है, उक्त कब्जा वर्षो से चला आ रहा होना बताया है। मौका पर्चा, नकल नक्शा व मिलान क्षैत्रफल शामिल पत्रावली है।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 सीपीसी पेश किया जिसको बाद बहस स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी ने दस्तावेज पेश किये।

पत्रावली में दस्तावेजो का अवलोकन कर पुनः प्रतिवादी मेवाराम की खातेदार आराजी के सम्बन्ध में तहसीलदार देवली को पत्रांक 382 दिनांक 02.05.24 से उक्त रिपोर्ट के संदर्भ में पत्र लिखा गया।

तहसीलदार देवली से पत्रांक 2335 दिनांक 19.07.24 से रिपोर्ट प्राप्त जो इस प्रकार हैः–प्रकरण में मेवाराम पुत्र बजरंगलाल मीणा निवासी बासलक्ष्मणा की खातेदारी भूमि की रिपोर्ट वर्तमान व भू–प्रबंध से पूर्व की चाही गई है इस संबंध में पटवारी हल्का पनवांड़ से रिपोर्ट प्राप्त की गई तथा कार्यालय में उपलब्ध साबिक जमाबंदी संवत 2035–2038 का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार रिपोर्ट निम्नानुसार है।

1. ग्राम बासलक्ष्मणा की जमाबंदी संवत 2076–2079 के खाता संख्या 60 में खसरा नंबर 60 रकबा 0.30 है0, खसरा नंबर 61 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 62 रकबा 0.07 है0, खसरा नंबर 63 रकबा 0.01 है0 किता 4 रकबा 0.72 है0 भूमि बहादुर सिंह, भवानी सिंह, महेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, राधाकिशन पुत्र सोहनी पत्नी मेवाराम कोम मीणा सा. सावंतगढ़ के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नंबर 60 रकबा 0.30 है0 साबिक खसरा नंबर 25 मिन रकबा 5 बीघा से, खसरा नंबर 61 रकबा 0.34 है0, खसरा नंबर 62 रकबा 0.07 खसरा नंबर 63 रकबा 0.01 है0 यह तीनों आराजीयात साबिक खसरा नंबर 25 मिन से बने हैं।
2. साबिक जमाबंदी संवत 2035–2038 के खाता संख्या 96 अनुसार ग्राम बासलक्ष्मणा के खसरा नंबर 25/1/1/1/2 रकबा 5 बीघा लगानी 2.90 रुपये जरिये नामां0 संख्या 139 निर्णय दिनांक 27.10.1981 द्वारा मेवाराम पुत्र बजरंगा मीणा सा. सावंतगढ़ दाँता के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है।

मेवाराम पुत्र बजरंगलाल मीणा सा. सावंतगढ़ के नाम ग्राम बासलक्ष्मणा में साबिक व हाल रिकार्ड दर्ज खातेदारी की आराजीयात की रिपोर्ट मय राजस्व रिकार्ड की नकल व रिपोर्ट प्राप्त।

पत्रावली पुनः बहस में नियत की गई।

बहस से पूर्व अधिवक्ता वादी ने प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 14 पेश कर दस्तावेज पेश किये।

प्रार्थना पत्र की बहस में अधिवक्ता वादी ने दस्तावेज को पत्रावली में रिकॉर्ड में लेने की प्रार्थना की।

न्यायाहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 एव 151 सीपीसी पेश किया।

बाद बहस प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया।

अधिवक्ता वादी ने बहस की प्रार्थना की।

अधिवक्ता वादी से बहस सुनी।

अधिवक्ता वादी ने बहस में वाद के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेंन्ट से पूर्व वादीगण के पूर्वज के नाम 31 बीघा 9 बिस्वा जमीन थी जिसको सेटलमेंन्ट अधिकारीयो/कर्मचारियों ने नये ख. नं. बनाते हुए वादीगण के नाम 7.33 है0 ही खातेदारी में लगाई है। 0.53 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी में कम लगाई गई है। सेटलमेंन्ट से पूर्व ख. नं. 25/3 वादीगण की खातेदारी में था जिसके नये ख. नं. 60 से 63 बनाये गये है, जिनको वादीगण की खातेदारी में नही लगाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 की खातेदारी में लगा दिया गया। जबकि ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0 पर वादीगण का मकान बना हुआ है और ख. नं. 61 में 0.34 है0 में से 0.33 है0 पर वादीगण का कब्जा आज भी बरकार है और वादीगण काबिज काश्त है। इस बाबत तहसीलदार द्वारा प्रेषित मोका पर्चा से भी वादीगण का कब्जाकाश्त साबित है।

अधिवक्ता वादी प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14 से पेश न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 164/2017 उनवान सोहनी बनाम सरकार पेश कर कथन किया कि मेवाराम के वारिसान सोहनी वगै. ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 व 188 पेश कर रखा है जिसके अनुसार वादीगण की खातेदारी में अंकित किये गये ख. नं. 60, 61, 62, 63 वादीगण की खातेदारी में से हटाये जाकर आराजी ख. नं. 51, 81, 82, 83 जो बासलक्ष्मणा तह. देवली में स्थित हो को वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद कराया जावे।

तहसीलदार जी की रिपोर्ट में साबिक ख. नं. 25/1/1/1/2 रकबा 5 बीघा जरिये नामा. संख्या 139 निर्णय दिनांक 27.10.1981 द्वारा मेंवाराम पुत्र बजरंगा मीणा सा. सांवतगढ के नाम दर्ज है। इसी साबिक ख. नं. 25/1/1/1/2 रकबा 5 बीघा भूमि के हाल ख. नं. 60, 61, 62, 63 कुल किता 4 कुल रकबा 0.72 है0 भूमि के लिए मेवाराम के वारिसान उक्त विचाराधीन वाद में यह कह रहे है कि उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जाकाश्त ही नहीं रहा है। उनका कब्जाकाश्त वो ख. नं. 51, 81, 82, 83 पर बताकर इन ख. नं. के लिए ही खातेदारी उद्घोषणा चाहते है।

उक्त से स्पष्ट है कि ख. नं. 60 व 61 प्रतिवादी की खातेदारी में गलत रूप से प्रतिवादीगण के पूर्वज मेंवाराम के लग गया जिसको प्रतिवादीगण दुरूस्त करवाना चाहते है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त विवादित आराजी से मेवाराम का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है केवल सेटलमेंट की गलती से मेवाराम के नाम उक्त भूमि की खातेदारी लग गई है, जिसको मेवाराम के वारिसान ने प्रकरण संख्या 164/2017 उनवान सोहनी बनाम सरकार वाद न्यायालय में पेश कर ख. नं. 60 से 63 पर कब्जा नहीं होना स्वीकार किया गया।

अतः उक्त तथ्यो से वाद वादीपक्ष डिक्री किये जाने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी के बहस व वाद मिमो पर मनन किया। वाद अनुसार वादीगण के पूर्वज गंगाराम, घीसाराम पुत्र देवीराम जाति मीणा की

18.11.2024

आराजी वाद वर्णित कुल किता 19 रकबा 7.33 है0 अर्थात 29 बीघा 6 बिस्वा बनाये गये। वाद अनुसार वादीगण के खाते में 2 बीघा 2 बिस्वा भूमि लगभग 0.53 है0 भूमि कम लगायी गयी और 0.53 है0 भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज मेंवाराम के नाम साबिक ख. नं. 25 से बने ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 62 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 63 रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 0.72 है0 बना कर लगा दिये गये। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारीयो को उक्त कुल 0.72 है0 में से 0.53 है0 को वादीगण के नाम लगाना चाहिए था।

उक्त के लिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श–1 जमाबन्दी सम्वत 2035–38 के कॉलम संख्या में गंगाराम पुत्र देवी कॉम मीना सा. देह खातेदार के नाम वाद वर्णित साबिक ख. नं. 13 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, ख. नं. 15 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा, ख. नं. 19/1, 22 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, ख. नं. 25/3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 68/2 रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा, ख. नं. 118 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, ख. नं. 120 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, ख. नं. 121 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, ख. नं. 124 रकबा 2 बीघा 7 किता 9 रकबा 31 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा दर्ज रिकॉर्ड है, इसी जमाबन्दी के अन्तिम कॉलम में ना. सं. 129 दिनांक 08.06.80 को ना. स. 129 दिनांक 08.06.80 को तहसील द्वारा हिस्सा 1/2 घीसाराम पुत्र देवी कोम मीना सा. देह के नाम स्वीकार हुआ है, बाकी हिस्सा बदस्तूर रहेगा, का अंकन है। प्रदर्श–2 रजिस्टर चक बन्दी मौजा बासलक्ष्मणा तहसील टोडारायसिंह में गंगाराम वल्द देवी कोम मीना में भी प्रदर्श–1 अनुसार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। प्रदर्श–3 भू–प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल 2046–65 ग्राम बासलक्ष्मणा के अनुसार 25 मिन रकबा 5 बीघा से हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 62 रकबा 0.06 है0 व ख. नं. 0.01 है0 बनना दर्शित है। न्यायाहित में पढी गयी छायाप्रति जमाबन्दी सम्वत 2060–63 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा के कॉलम संख्या 4 मेंवाराम पुत्र बजरंगा कोम मीणा सा. देह के नाम ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0, ख. नं. 62 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 63 रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 0.72 है0 सांवतगढ खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2060–63 में शिवराम सूरजमल नन्दराम पुत्र पु. बरजी बेंवा गंगाराम हि. 1/2 लक्ष्मीनारायण प्रभु पुत्र पानी मानी रामघणी पुत्रियां कल्ली बेवा घासी हि. 1/2 कोम मीणा सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–5 हाल नक्शा ट्रेस व प्रदर्श –6 नक्शा ट्रेस सम्वत 1987 दर्शित है। प्रदर्श–7 भू–प्रबन्धक विभाग के खसरा पत्रक सम्वत 2040–41 ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 62 रकबा 0.07 है0, ख. नं. 63 रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 0.72 है0 गत भू–माप वाले कॉलम संख्या 22 में सुखदेवा पुत्र देवी कौम मीना सा. देह गैर खातेदार है, और इसके नीचे मेवाराम पुत्र बजरंगा मीणा सा. सांवतगढ खातेदारी व वर्तमान वाले कॉलम संख्या 23 में मेवाराम पुत्र बजरंगा मीणा सा. सांवतगढ खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–9 साबिक ख. नं. 13 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा से हाल ख. नं. 33 रकबा 0.40 है0, ख. नं. 15 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा से हाल ख. नं. 35 रकबा 0.86 है0, ख. नं. 36 रकबा 0.42 है0, ख. नं. 42 रकबा 0.26 है0, ख. नं. 35 रकबा 0.86 ख. नं. 19/1, 22 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा से हाल ख. नं. 43 रकबा 0.27 है0, ख. नं. 25 मि. रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से हाल ख. नं. 50 रकबा 0.25 है0, ख. नं. 68 मि. रकबा 12 बीघा 19 बिस्वा से ख. नं. 130 रकबा 1.61 व ख. नं. 131 रकबा 1.52 है0 , ख. नं. 118 मि. रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा से हाल ख. नं. 335 रकबा 0.02 है0 व ख. नं. 336 रकबा 0.23 है0, ख. नं. 120 मि. रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा से ख. नं. 338 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 339 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 340 रकबा 0.05 है0, ख. नं. 341 रकबा 0.12 है0, ख. नं. 120, 121 मि. रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से ख. नं. 342 रकबा 0.27 है0 व ख. नं. 357 रकबा 0.32 है0, ख. नं. 124 मि. रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा से ख. नं. 349 रकबा 0.01 है0, ख. नं. 350 रकबा 0.31 है0, ख. नं.

18.11.2024

351 रकबा 0.27 है0, ख. नं. 338 ,रकबा 0.05 है0, दर्शित हैं। मेवाराम की मृत्य के बाद जमाबन्दी सम्वत 2076–79 मेंवाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 मा 1/6 के नाम ख. नं. 60 से 63 रकबा 0.72 है0 दर्ज रिकॉर्ड है। प्रदर्श–9 अन्य मिलान क्षैत्रफल मसमूला मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2046–65 में साबिक ख. नं. 25 मिन 2 बीघा 2 बिस्वा से हाल ख. नं. 50 रकबा 0.25 है0 बनना दर्शित है। अन्य राजस्व दस्तावेज जो अधिवक्ता वादी ने बहस से पूर्व पेश किये जो कि प्रदर्शित नहीं है परन्तु न्याय हित को देखते हुए पढा गया। रजिस्टर चक बन्दी मौजा बासलक्ष्मणा तहसील टोडारायसिंह निजामत गंगाराम वल्द देवी कोम के नाम अन्य ख. नं. के साथ 25/3 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, जमाबन्दी सम्वत 2031–34 के कॉलम संख्या 5 में गंगाराम पुत्र देवी कोम मीणा व कॉलम संख्या 6 में साबिक ख. नं. 25/3 दर्ज रिकॉर्ड है और इसी में साबिक ख. नं. 25/1 समस्त सा देह सबिसवस्ते जमीदारान के नाम व साबिक ख. नं. 25/2 कल्याण वल्द भागुता कोम मीना के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2031 में सुखदेवा पुत्र देवी कोम के नाम ख. नं. 25/1/1/1/1/2 दर्ज है, इसी जमाबन्दी में ख. नं. 25/1/1/1/3 व ख. नं. 25/1/1/1/4 व इसी जमाबन्दी में रामा पुत्र भागुता कोम मीणा सा. देह खातेदार सा. देह कु. कदीम खातेदार ख. नं. 25/1/1/1/2 दर्ज है। इसी जमाबन्दी में साबिक ख. नं. 25/3 गंगाराम पुत्र देवी कोम मीणा के नाम दर्ज है और साबिक ख. नं. 25/2 कल्याण पुत्र भागूता कोम मीना के नाम दर्ज है।

न्यायहित व मौके की स्थिति को वास्तविक स्थिति ज्ञात करने के लिए तहसीलदार देवली से मांगी गई रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0 पर श्री लक्ष्मीनारायण प्रभुलाल पुत्र घीसाराम निवासी बासलक्ष्मणा का कब्जाकाश्त है तथा एक आवासीय मकान 0.01 है0 व एक ट्युबवेल लगा रखा है। ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 पर श्री नन्दाराम पुत्र गंगाराम, चादसिंह पुत्र शिवराम द्वारा उड़द की फसल काश्त है। उक्त ख. नं. 60 व 61 पर वर्षो से कब्जा चला आ रहा है। मौका पर्चा रिपोर्ट के साथ संलग्न है। साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–2 ने विवादित 'आराज़ी पर वादीगण का कब्जाकाश्त बताया है।

उक्त के विश्लेषण से यह साबित हुआ कि वादीगण के पूर्वज गंगाराम व घीसाराम की आराजी साबिक ख. नं. कुल किता 9 रकबा 31 बीघा 9 बिस्वा भूमि थी। जिसके सेटलमेन्ट द्वारा हाल वाद वर्णित ख. नं. कुल किता 19 रकबा 7.33 है0 अर्थात 29 बीघा 6 बिस्वा बनाये गये। साबिक ख. नं. 25/3 मिन जो पूर्व में प्रदर्श 1 अनुसार वादीगण के पूर्वजो के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड थी जिसके सेटलमेन्ट अधिकारीयो ने जमाबन्दी सम्वत 2060–63 अनुसार साबिक ख. नं. 25 मिन में मिलाकर साबिक ख. नं. 25 मिन से बने ख. नं. 60 से 63 किता 4 कुल रकबा 0.72 है0 को प्रतिवादीगण के पूर्वज मेवाराम के नाम लगा दिये गये, इसका कोई आधार नहीं बताया है। जबकि सेटलमेन्ट अधिकारीयों को कब्जेकाश्त अनुसार वादीगण के नाम ख. नं. 60 व 61 में से 0.53 है0 को वादीगण के नाम लगाना चाहिए था। वाद का सम्पूर्ण रूप से अध्ययन करने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। वाद को न्यायालय में चलते लगभग 13 वर्ष से अधिक हो गये है परन्तु प्रतिवादी/प्रतिवादीगण ने कभी न्यायालय में आकर आपति प्रकट नहीं की है। तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 29.07.2022 अनुसार ख. नं. 61 व 62 पर वादीगण का कब्जाकाश्त वर्षो से चला आ रहा है।

जमाबंदी संवत 2035–2038 के खाता संख्या 96 अनुसार ग्राम बासलक्ष्मणा के खसरा नंबर 25/1/1/1/2 रकबा 5 बीघा लगानी 2.90 रुपये जरिये नामां0 संख्या 139 निर्णय दिनांक 27.10.1981 द्वारा मेवाराम पुत्र बजरंगा मीणा सा. सावंतगढ़ दाँता के नाम खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड है।

18.11.2024

प्रतिवादी मेंवाराम के वारिसान प्रकरण संख्या 164/2017 उनवान सोहनी बनाम सरकार के अनुसार मेवाराम के वारिसान सोहनी वगै. ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 136 व 188 कि अनुसार मेवाराम के वारिसान प्रतिवादीगण की खातेदारी में अंकित किये गये ख. नं. 60, 61, 62, 63 वादीगण की खातेदारी में से हटाये जाकर आराजी ख. नं. 51, 81, 82, 83 जो बासलक्ष्मणा तह. देवली में स्थित हो को प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे और इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद कराया जावे। .

तहसीलदार रिपोर्ट दिनांक 29.07.22 व 19.07.024 कब्जेकाश्त के सम्बन्ध में भी प्रतिवादीगण द्वारा कभी किसी प्रकार का उज्र राजस्व अधिकारीयों/कर्मचारियो के समक्ष पेश नहीं किया है। तहसीलदार द्वारा पेश अन्य मिलान क्षैत्रफल में साबिक ख. नं. 25 मिन से हाल ख. नं. 60 से 63 के अलावा अन्य कई ख. नं. बनना दर्शित किया है। उक्त विश्लेषण से यह साबित होता है कि साबिक ख. नं. 25/3 पूर्व में वादीगण की पूर्वजो की खातेदारी भूमि थी जो सेटलमेंन्ट अधिकारीयों ने साबिक ख. नं. 25 मिन में मिलाते हुए हाल ख. नं. 60 से 63 के अलावा अन्य ख. नं. बनाते हुए हाल ख. नं. 60 से 63 को प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की खातेदारी में लगा दिया गया जबकि सेटलमेंन्ट से पूर्व से ही कब्जा ख. नं. 60 व 61 कुल रकबा 0.64 है. में 0.53 है0 पर वादीगण का कब्जा चला आ रहा है। उक्त के विवेचन व तहसीलदार द्वारा पेश रिपोर्ट से व वादीगण द्वारा पेश साक्ष्य, प्रलेखिय साक्ष्यो से साबित है कि ख़. नं. 60 रकबा 0.30 है0 व ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 कुल रकबा 0.64 है0 में से 0.53 है0 पर वादीगण खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है, जिसको वादीगण ने साबित किया है।

## आदेश

अतः वादीगण को हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0 व ख. नं. 61 रकबा 0. 34 है0 में से 0.23 है0 कुल रकबा 0.53 है0 वाके ग्राम बासलक्ष्मणा तहसील देवली का खातेदार उद्घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1/1 ता 1/6 को पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये रेजेन्ट, नोकर, चाकर के हाल ख. नं. 60 रकबा 0.30 है0, ख. नं. 61 रकबा 0.34 है0 में से 0.23 है0 भूमि को किसी व्यक्ति को हस्तान्तरित नही करे और वादीगण के कब्जे काश्त में मजामहत नही करे । पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास दिनांक 18.11.2024 को सुनाया गया।**

(मनोज कुमार मीणा)
**उपखण्ड अधिकारी**
**देवली**